



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 968]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2010/वैशाख 28, 1932

No. 968]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2010/VAISAKHA 28, 1932

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2010

का.आ. 1173(अ).—बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (वर्ष 2006 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 के अनुसार, भारत सरकार डॉ. (श्रीमती) शांता सिन्हा, 3ए, एंटेंचमेंट रोड, मरिडपल्ली पश्चिम, सिकन्दराबाद-500026 को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा नामित करती है। डॉ. (श्रीमती) शांता सिन्हा 18 मई, 2010 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अपना पद संभालेंगी।

[फा. सं. 3-11/2010-सी. डब्ल्यू-I (पार्ट)]

विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND
CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2010

S.O. 1173(E).—In pursuance of Section 4 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006) the Government of India hereby nominates Dr. (Smt.) Shantha Sinha, 3A, Entrenchment Road, Marredpally West, Secunderabad - 500 026 as the Chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi. Dr. (Smt.) Shantha Sinha shall hold office for a period of three years from 18th May, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 3-11/2010-CW-I(Pt.)]

VIVEK JOSHI, Jt. Secy.